प्रवासी सुरक्षा योजना	महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना के अंतर्गत जनश्री बीमा योजना हेतु मानक प्रक्रिया (एसओपी)

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

www.moia.gov.in

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

मानक परिचालन प्रक्रिया एमजीपीएसवाई- जेबीवाई

संक्षिप्ति और संक्षिप्त शब्द

इस दस्तावेज में प्रयोग किए जाने वाले संक्षिप्त शब्दों की सूची निम्न है-

संक्षिप्त शब्द	विवरण
ईसीआर	उत्प्रवासन जांच अपेक्षा
ईसीएस	इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा
जेबीएस	जनश्री बीमा योजना
एलआईसी	भारतीय जीवन बीमा निगम
एमजीपीएसवाई	महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना
एमओआईए	प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय
एनपीएस-लाइट	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लाइट
पीएमयू	परियोजना निगरानी एकक
आर एंड आर	वापसी एवं पुनर्वास
एस आई	स्थायी अनुदेश

विषय सूची

1. प्रस्तावना

2. दस्तावेज का उद्देश्य

3. जेबीवाई- एमजीपीएसवाई लाभ

4. पणधारक एवं परिभाषाएं

5. एमजीपीएसवाई -जेबीवाई योजना के अंतर्गत उपभोक्ता का नामांकन

6. प्रीमियम संवितरण प्रक्रिया

7. दावाकृत राशि की संवितरण प्रक्रिया

1. प्रस्तावना

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई) को प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय (एमओआईए) द्वारा शुरू की गयी एक विशेष परिकल्पित सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का लक्ष्य उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्टधारी और विदेश प्रवासित अथवा वैध अस्थायी रोजगार/ संविदा वाले वीजा पर विदेश प्रवास करने वाले प्रवासी भारतीय कामगारों को (क) **उनकी वापसी और पुनर्वास हेतु बचत करने**, (ख) **उनके वृद्धावस्था पेंशन के लिए बचत करने** (ग) स्वाभाविक मृत्यु होने पर **निशुल्क जीवन बीमा कवर प्राप्त करने** के लिए प्रोत्साहित करने, समर्थ बनाने और सहायता करने का है।

ईसीआर पासपोर्ट वाला कोई भी पुरूष या महिला प्रवासी भारतीय जिसकी आयु 18 और 50 के बीच हो, वे उक्त लाभ लेने के लिए इस योजना से जुड़ सकता है।

योजना भागीदार

- यूटीआई द्वारा प्रबंधित सेबी विनियमित म्युचुअल फंड के माध्यम से वापसी और पुनर्वास बचत खाता के अंतर्गत् निवेश
- **पीएफआरडीए** द्वारा विनियमित एनपीएस लाइट के माध्यम से वृद्धावस्था मासिक पेंशन
- **एलआईसी ऑफ इंडिया** द्वारा जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) के अंतर्गत जीवन बीमा कवर

2. दस्तावेज का उद्देश्य

इस दस्तावेज में जेबीवाई के अंतर्गत नामांकन प्रक्रिया, प्रीमियम उपयोग प्रक्रिया और दावाकृत राशि संवितरण प्रक्रिया के संबंध में भागीदारी पणधारकों की भूमिका का उल्लेख किया गया है। इसमें अंतर्ग्रस्त पणधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है और प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया है।

3. जेबीवाई- एमजीपीएसवाई लाभ

प्रस्तावित एमजीपीएसवाई के अंतर्गत उन प्रवासी भारतीय कामगारों को जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाएगा जो एमजीपीएसवाई के अंतर्गत उपभोक्ता के रूप में शामिल होते हैं ताकि कामगार की मृत्यु अथवा निशक्त होने पर उनके परिवारों को उचित मुआवजा मिल सके। उपभोक्ता की मृत्यु होने, स्थायी रूप से निशक्त होने अथवा अन्त्य रोगी होने पर उनके नामिति को एकमुश्त राशि के रूप में जीवन बीमा के लाभ के साथ एमजीपीएसवाई खाते में पूर्ण जमा बचत राशि प्रदान की जाएगी।

ऐसी अप्रत्याशित घटनाओं के अंतर्गत सामाजिक सेवा प्रदान करने के लिए एमओआईए एलआईसी की जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) के अंतर्गत निशुल्क जीवन बीमा कवर प्रदान कर रहा है। जेबीवाई के अंतर्गत कवर की जाने वाली घटनाएं निम्न हैं-

- बीमित व्यक्ति (उपभोक्ता) की दुर्भाग्यवश स्वाभाविक मृत्यु होने पर एलआईसी द्वारा उपभोक्ता के नामिति को 30,000 रूपए दिया जाएगा।
- दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा स्थायी रूप से निशक्त होने पर उपभोक्ता के नामिति अथवा उपभोक्ता को, जैसा भी मामला हो, एलआईसी द्वारा 75000 रूपए प्रदान किया जाएगा।
- दुर्घटना में आंशिक रूप से निशक्त होने पर उपभोक्ता को एलआईसी द्वारा 37500 रूपए प्रदान किया जाएगा।

4 पणधारक और परिभाषाएं

बीमा प्रक्रियाओं की तर्ज पर इस योजना आर्किटेक्चर में पहचान किए गए प्रमुख पणधारकों में उपभोक्ता, सेवा प्रदाता, नोडल एजेन्सी और एलआईसी शामिल हैं। आर्किटेक्चर के संबंध में पणधारकों के कार्यों (भूमिकाएं और जिम्मेदारियां) का विवरण निम्न रूप में दिया गया है:

1. उपभोक्ता

एमजीपीएसवाई में पंजीकृत ईसीआर देश में कार्यरत प्रवासी भारतीय कामगार।

2. सेवा प्रदाता

एमजीपीएसवाई सेवा प्रदाता एमओआईए द्वारा नियुक्त प्रसिद्ध वित्तीय संस्था हो जो उपभोक्ता के साथ कार्य करे। उनका प्रथम कार्य उपभोक्ता और इस योजना के बीच समन्वय बनाना है। इस योजना की सफलता मुख्यत: एमजीपीएसवाई के सेवा प्रदाताओं की क्षमता और कार्य दक्षता पर निर्भर करेगा। एमजीपीएसवाई की ओर से सेवा प्रदाता की उपभोक्ता के साथ बात चीत करने, उन्हें इस योजना की विशेषताओं के बारे में बताने और एमजीपीएसवाई के साथ उन्हें जोड़ने हेतु कार्य करने की जिम्मेदारी होगी।

उनके पास उपभोक्ताओं हेतु एकल बिंदु संपर्क होगा और उपभोक्ता के प्रश्नों का उत्तर देने, इस योजना के बारे में जागरूकता फैलाने, एमजीपीएसवाई में उपभोक्ता के नामांकन, उपभोक्ता के प्रसंस्करण दावे और आहरण अनुरोधों व किसी व्यक्तिगत अथवा योजना के बारे में सूचना देने की जिम्मेदारी होगी।

3. नोडल एजेन्सी

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (एमओआईए) इस योजना का प्रमुख पणधारक और प्रायोजक है। इसके पास उपभोक्ताओं के पूर्ण हित में इस योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार है। एमजीपीएसवाई -जेबीवाई योजना हेतु एमओआईए को यहां **नोडल एजेंसी** कहा गया है। नोडल एजेंसी एमजीपीएसवाई उपभोक्ता और एलआईसी के बीच आवश्यक इंटरफेस प्रदान करेगा और बीमित सदस्यों के लिए एवं उनकी ओर से कार्य करेगा। यह उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वे एलआईसी को प्रीमियम का भुगतान करे और उपभोक्ताओं से आवेदन सह नामिति पत्र लेकर उनके ब्यौरों को विशिष्ट प्रपत्र में भर कर एलआईसी को भेजे । निपटान और अनुमति संबंधी सभी दावे नोडल एजेंसी के माध्यम से निपटाए जाएंगे।

शुरूआत में नोडल एजेंसी का कार्य एमओआईए द्वारा नियुक्त परियोजना प्रबंधन एकक द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक महीने सृजित दावों की संख्या के आधार पर कार्य करते हुए जेबीएस के अंतर्गत इस कार्य को करने के लिए समर्पित संसाधन का सृजन किया जाएगा।

4. भारतीय जीवन बीमा निगम

एलआईसी एक प्रधान पॉलिसी धारके के रूप में एमओआईए के साथ एक समूह प्रधान बीमा पालिसी जारी करेगा। एमओआईए इसके लिए सदस्यों की ओर से आवश्यक प्रीमियम की राशि चुकायेगा और इस पॉलिसी को लागू करेगा। कवर किए गए सदस्यों के संबंध में इस पॉलिसी के अंतर्गत बीमा कवर उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि से वह एमजीपीएसवाई के अंतर्गत नामित है और उन्हें एक एमजीपीएसवाई संख्या जारी किया जाएगा जिसमें एनपीएस लाइट के अंतर्गत उनकी नामांकन संख्या दी होगी। यूटीआई योजना को किसी भी कारण से अमान्य नहीं माना जाता है।

5. एमजीपीएसवाई - जेबीवाई योजना के अंतर्गत उपभोक्ता नामांकन

(चित्र)

<u>इस प्रक्रिया में शामिल पणधारकों की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां</u>

1. सेवा प्रदाता

पीएमजीएसवाई जेबीवाई के अंतर्गत नामांकन के संदर्भ में सेवा प्रदाता की जिम्मेदारियों निम्न होती हैं:

- उपभोक्ता सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों और इस योजना में नामांकन उद्देश्य हेतु अंशदान के साथ सेवा प्रदाता के नामांकन केन्द्र से संपर्क करेगा।
  सेवा प्रदाता एमजीपीएसवाई प्रणाली में उपभोक्ता का पंजीकरण करेगा और उसे एक प्राप्ति रसीद, पीएलआईएफ आईडी के साथ एक एमजीपीएसवाई कार्ड और वेलकम किट जारी करेगा।

- सेवा प्रदाता योजना साझेदार- वार प्रपत्रों को अलग अलग करेगा और एमजीपीएसवाई सह जेबीवाई प्रपत्रों की मूल प्रति को नोडल एजेंसी को महीने के अंतिम कार्य दिवस के दिन अग्रेषित करेगा। वह इन सभी प्रपत्रों को एक ही बंडल में बांधकर और एक लिफाफे के साथ संलग्न कर निम्नांकित पते पर नोडल एजेंसी को भेजेगा:

  प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 9वां तल, अकबर भवन, नई दिल्ली - 110021, दूरभाष - 011 24197900

- अब यह उपभोक्ता जेबीवाई मास्टर पॉलिसी के अंतर्गत सफलतापूर्वक नामांकित है और एमजीपीएसवाई के अंतर्गत् उपभोक्ता के रूप में उनके नामांकन की सत्यता के अध्यधीन पीएलआईएफ आईडी के जारी करने की तिथि से जेबीवाई योजना के अनुसार लाभ प्राप्त होगा। *इसमें एमजीपीएसवाई - जेबीवाई में उपभोक्ता का औपबंधिक नामांकन शामिल होता है।*

2. नोडल एजेंसी (एमओआईए) और एमजीपीएसवाई प्रणाली

- नोडल एजेंसी एलआईसी के खाते में *वार्षिक लक्ष्य प्रीमियम (यह मानते हुए 5 लाख रूपए की राशि जमा करेगा कि प्रतिवर्ष 5000 उपभोक्ताओं का नामांकन किया जाएगा)* के रूप में राशि जमा करेगा।
- उन उपभोक्ताओं, जिन्हें किसी विशेष महीने में एनपीएस लाइट और यूटीआई एमआईएस योजना में सफलतापूर्वक नामांकित किया गया है, के लिए एमजीपीएसवाई प्रणाली में उक्त महीने के अंत में उन उपभोक्ताओं के ब्यौरे को सूचीबद्ध करते हुए एक फाइल सृजित किया जाएगा।
- उसके बाद नोडल एजेंसी इस फाइल को डाउनलोड करेगा और अगले महीने के प्रथम कार्य दिवस को एक फाइल फीड फार्मेट में एमजीपीएसवाई -जेबीवाई के अंतर्गत कवरेज हेतु एलआईसी को इन सफल नामांकित उपभोक्ताओं की एक सूची भेजेगा। इस सूचना को एलआईसी को प्रेषित करने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए।
- एलआईसी से सदस्यता के व्यक्तिगत एलआईसी जेबीवाई प्रमाणपत्र की प्राप्ति के पश्चात नोडल एजेंसी इसे उपभोक्ताओं के पत्राचार पतों (प्रपत्र में किए गए उल्लेख के अनुसार) पर भेजेगा।

3. एलआईसी

- नोडल एजेंसी से अग्रिम रूप में वार्षिक लक्ष्य प्रीमियम राशि की प्राप्ति होने के बाद एलआईसी नोडल एजेंसी को पावती के रूप में एक सरकारी रसीद जारी करेगा।
- इस योजना के प्रारंभ में एलआईसी एक मास्टर पॉलिसी जारी करेगा जिसके तहत एमजीपीएसवाई के सदस्यों को कवरेज प्राप्त होगा और इस मास्टर पॉलिसी प्रमाणपत्र को नोडल एजेंसी को भेजेगा। (वर्तमान में संभावित रूप में 5000 उपभोक्ता)।
- एलआईसी *नोडल एजेंसी से उपभोक्ता पंजीकरण फाइल फीड की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर व्यक्तिगत उपभोक्ता सदस्यता प्रमाणपत्र* जारी करेगा।
- तत्पश्चात सदस्यता प्रमाणपत्र को उपभोक्ता को उसके पत्राचार पते पर संवितरण हेतु नोडल एजेंसी को भेजा जाएगा।
- इन प्रमाणपत्रों को प्रत्येक महीने के प्रथम कार्य दिवस पर नोडल एजेंसी द्वारा दिए गए सूचना फाइल फीड के आधार पर जारी किया जाएगा जिस पर *"पिछले महीने साझीदार योजना में सफलतापूर्वक नामांकित उपभोक्ता"* उल्लिखित होगा। इससे एमजीपीएसवाई जेबीवाई में उपभोक्ता का उचित पंजीकरण पूर्ण होगा।

  वैकल्पिक रूप से आगे एलआईसी को एमजीपीएसवाई तक पहुंच के लिए एक लॉगइन प्रदान किया जाएगा जहां से उपभोक्ता पंजीकरण फाइल को डाउनलोड किया जा सकता है और इसके आधार पर व्यक्तिगत उपभोक्ता सदस्यता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

महत्वपूर्ण बिंदु-

- सेवा प्रदाता को एमजीपीएसवाई सह जेबीवाई नामांकन प्रपत्र की मूल प्रतियों को बंडल बनाकर प्रत्येक महीने के अंत में ही एकओआईए को भेजना चाहिए।
- प्रत्येक महीने के प्रथम दिन को नोडल एजेंसी के लिए यह अधिदेशित है कि वह एमजीपीएसवाई प्रणाली से उपभोक्ता पंजीकरण फाइल डाउनलोड कर उसी दिन इस सूची को एलआईसी को अग्रेषित करे।
- इस सूचना की प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर ही एलआईसी नोडल एजेंसी को व्यक्तिगत उपभोक्ता एमजीपीएसवाई जेबीवाई सदस्यता प्रमाणपत्र तैयार कर भेजेगा।
- नोडल एजेंसी के लिए यह अधिदेशित है कि वह इन प्रमाणपत्रों की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर हीं उपभोक्ता के पत्राचार पते पर भेजे।

6. प्रीमियम संवितरण प्रक्रिया

(चित्र)

<u>इस प्रक्रिया में शामिल पणधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां</u>

1. एलआईसी

- एलआईसी एमजीपीएसवाई उपभोक्ता हेतु मास्टर पॉलिसी जारी करता है और इसे नोडल एजेंसी को भेजता है।
- एलआईसी प्रत्येक महीने के प्रथम कार्य दिवस को एमजीपीएसवाई प्रणाली से उपभोक्ता पंजीकरण फाइल डाउनलोड करता है।
- इस फाइल में उपभोक्ताओं की संख्या दी होती है जिसके लिए व्यक्तिगत उपभोक्ता प्रमाणपत्र और उपभोक्ता आईडी को जारी किया जाना होता है।

  एक. यदि एलआईसी के पास जेबीवाई में उपभोक्ता के नामांकरण के लिए पर्याप्त प्रीमियम हो तो-

  - वह प्रत्येक उपभोक्ता के लिए व्यक्तिगत उपभोक्ता सदस्यता प्रमाणपत्र और उपभोक्ता आईडी जारी करेगा और उपभोक्ता को भेजने के लिए इसे नोडल एजेंसी को भेजेगा।
  - नामांकन के लिए प्रीमियम का इस्तेमाल किए जाने के बाद ***एलआईसी इसकी भी जांच करेगा कि क्या शेष वार्षिक लक्ष्य प्रीमियम राशि 20 प्रतिशत से अधिक है या नहीं।***

(क) यदि शेष बची प्रीमियम की राशि वार्षिक लक्ष्य प्रीमियम के 20 प्रतिशत से अधिक है तो इस अप्रयुक्त राशि को अगले महीने / वर्ष, जैसा भी मामला हो, में ले जाया जाएगा।

(ख) **मामला एक-** यदि शेष बची प्रीमियम की राशि 20 प्रतिशत से कम है तो एलआईसी अतिरिक्त टॉप अप राशि को अंतरित करने के लिए नोडल एजेंसी को एक विशेष मांगपत्र भेजेगा।

दो. यदि एलआईसी के पास प्रीमियम की राशि उपभोक्ताओं के नामांकन करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो-

(क) एलआईसी कमी वाली राशि और वार्षिक लक्ष्य की प्रीमियम राशि का 20 प्रतिशत अंतरित करने के लिए विशेष मांगपत्र भेजेगा। नोडल एजेंसी से प्रीमियम राशि की प्राप्ति के पश्चात एलआईसी मास्टर पॉलिसी के अंतर्गत उपभोक्ता का नामांकन करेगा और सदस्यता प्रमाणपत्र व सदस्य आईडी जारी किए जाएंगे।

2. नोडल एजेंसी

- नोडल एजेंसी इस पर विचार करते हुए वार्षिक लक्ष्य अग्रिम प्रीमियम के रूप में एलआईसी खाते में 5 लाख रूपए जमा करेगा कि एक वर्ष के दौरान 5000 उपभोक्ताओं का नामांकन किया जाएगा।
- एलआईसी द्वारा प्राप्त विशेष मांगपत्र के आधार पर नोडल एजेंसी एलआईसी के खाते में अपेक्षित राशि डालेगा।
- यदि किसी तिमाही में विशेष मांगपत्र अनुरोध की प्राप्ति दोबारा होती है तो नोडल एजेंसी वार्षिक लक्ष्य अग्रिम राशि को संशोधित कर विद्यमान राशि को दोगुना करेगा और इस राशि को एलआईसी के खाते में जमा करेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु-

- *प्रत्येक महीने के अंत में एलआईसी द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।*
- *नोडल एजेंसी एलआईसी से प्राप्त विशेष मांगपत्र अनुरोधों को संसाधित करेगा।*
- *नोडल एजेंसी वार्षिक लक्ष्य अग्रिम प्रीमियम राशि को परिभाषित करेगा।*
- *उपर्युक्त उल्लिखित टॉप अप राशि को एमओआईए द्वारा परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है।*
- *कमी की राशि = उपभोक्ताओं के नामांकन के लिए अपेक्षित वास्तविक राशि - एलआईसी के पास उपलब्ध राशि।*

7. दावाकृत राशि की संवितरण प्रक्रिया

(चित्र)

<u>इस प्रक्रिया में शामिल पणधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां</u>

1. उपभोक्ता

जीवन बीमा दावा का मामला बीमित सदस्य की मृत्यु अथवा दुर्घटना के कारण पुर्ण या आंशिक स्थायी निशक्तता के कारण उत्पन्न होता है।

- इस दावे के उत्पन्न होने पर दावाकर्ता (मृत्यु होने पर नामिति / लाभार्थी और निशक्तता दावे के मामले में बीमित व्यक्ति/ उपभोक्ता) को दावा सह छुट्टी प्रपत्र को भरकर एमजीपीएसवाई सेवा प्रदाता को देना आवश्यक है।
- उसे स्वाभाविक मृत्यु होने पर निम्नांकित दस्तावेज जमा करना आवश्यक है-
    - विधिवत रूप से भरा गया दावा प्रपत्र
    - नोडल एजेंसी द्वारा मूल रूप से सत्यापित मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति

दुर्घटना में हुई मृत्यु लाभ दावा के मामलों में इस निगम की संतुष्टि के लिए मृत्यु पंजीकरण प्रमाणपत्र के साथ निम्नांकित अतिरिक्त अपेक्षाओं को जमा करना होगा-

- प्राथमिकी की प्रति
- पोस्टमार्टम की रिपोर्ट
- पुलिस जांच रिपोर्ट (पंचनामा)

दुर्घटना के कारण निशक्तता के मामले में उपभोक्ता को सेवा प्रदाता को निम्नलिखित दस्तावेज देना होगा -

- स्थायी निशक्तता को प्रमाणित करने वाला चिकित्सीय प्रमाणपत्र
- दावा प्रपत्र सह छुट्टी रसीद
- प्राथमिकी की प्रति

2. सेवा प्रदाता

- सेवा प्रदाता संपूर्णतता हेतु विधिवत् रूप से भरे दावा प्रपत्र सह छुट्टी प्रपत्र की जांच करेगा और उपभोक्ता से सहायक प्रपत्र लेगा तथा इसके बदले वह पावती रसीद जारी करेगा।
- प्रत्येक शुक्रवार दिन की समाप्ति पर सहायक दस्तावेज सहित विधिवत रूप से भरा दावा प्रपत्र सह छुट्टी प्रपत्र को संसाधित किए जाने के लिए नोडल एजेंसी को अग्रेषित किया जाएगा।

3. नोडल एजेंसी

- नोडल एजेंसी बीमित सदस्य की एलआईसी आईडी और पॉलिसी संख्या से अनुबंध / दावा सह छुट्टी प्रपत्र के विषय वस्तु का अभिप्रमाणन और पुष्टि करेगा तथा उसके पश्चात एलआईसी के नामोद्दिष्ट एकक के पास इस दावे को अग्रेषित करेगा।
- नोडल एजेंसी लाभार्थी के उस बैंक खाते को भी प्रमाणित करेगा जिसमें दावे की राशि नामे की जानी है।

4. एलआईसी

- 6 महीने से पुराने किसी भी दावे को एलआईसी द्वारा संसाधित नहीं किया जाएगा।
- एलआईसी दावे की सत्यता के आधार पर इसे संसाधित करेगा और एनईएफटी के माध्यम से दावाकर्ता/ लाभार्थ, जैसा भी मामला हो, के खाते में दावे की राशि भेजेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु-

- *सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि दावा प्रपत्र विधिवत रूप में भरा गया हो और उसके साथ अपेक्षित सहायक दस्तावेज लगा हो।*
- *नोडल एजेंसी की यह जिम्मेदारी है कि वह एलआईसी सदस्य आई डी और पॉलिसी संख्या से बैंक खाते की सत्यता की जांच करे और प्रपत्र पर मुहर लगाए उसके पश्चता इसे यथाशीघ्र एलआईसी के दावा संसाधन एकक को भेज दें।*
- *एलआईसी दावा को संसाधित करता है और संबंधित बैंक खाते में दावा राशि को अंतरित करता है।*
- *सभी दावों को एलआईसी द्वारा निरस्त किए जाने से बचने के लिए दावा उत्पत्ति के छह महीने के भीतर एलआईसी को भेजा जाना चाहिए।*